कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय–आदेश

राजस्थान सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक – 30.10.2017 एवं दिनांक – 09.12.2017 के अनुसरण में शिक्षा अधीनस्थ/मंत्रालयिक कार्मिकों को निम्नानुसार आश्वासित कैरियर प्रगति स्कीम (एसीपी) वर्तमान पे–मैट्रिक्स लेवल में स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक एवं पदस्थापन स्थान श्री/श्रीमती/सुश्री..........	नियमित नियुक्ति दिनांक	सेवा अवधि (वर्षो में)	प्राप्त लेवल	स्वीकृत लेवल	प्रभावी तिथि	वि0वि0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ख्यालीराम छीपा, शीघ्रलिपिक डाईट, मोनेर, जयपुर	13.12.91	27	L-12	L-13	13.12.18	–
2	महेश कुमार तिवाड़ी, शीघ्रलिपिक जि0शि0अ0, प्रारंभिक,जयपुर मुख्यालय	06.12.91	27	L-12	L-13	06.12.18	–
3	दामोदर प्रसाद मिश्रा, व0स0 राउमावि, टोडा मीणा, ज0रा0, जयपुर	13.11.91	27	L-10	L-11	13.11.18	
4	स्व0 श्रीमती अंजुला गुप्ता, वअ राउमावि, माकरोटा, जयपुर	02.11.91	27	L-12	L-13	02.11.18	–
5	रेखा गुप्ता, वअ राबाउमावि, सांगानेर, जयपुर	30.10.91	27	L-12	L-13	30.10.18	–
6	विजय कुमार जैन, वअ रामावि, मोदीखाना, जयपुर	01.07.91	27	L-13	L-14	01.07.18	–
7	सुरेश चन्द माहेश्वरी, वअ राउप्रावि, नोहरा मुकन्दपुरा, डिग्गावता, फागी	12.07.91	27	L-12	L-13	12.07.18	–
8	कैलाश चन्द जाट, वअ राबाउप्रावि, डिग्गावता, फागी,जयपुर	22.12.90	27	L-12	L-13	22.12.17	–
9	हरिश चन्द्र, वअ राउमावि, वाटिका, जयपुर	01.07.91	27	L-13	L-14	01.07.18	–
10	सुषमा शर्मा, वअ रामावि, सायपुरा, सांगानेर, जयपुर	19.08.91	27	L-12	L-13	19.08.18	–
11	सुरेश कुमार मोदी, वअ राबाउप्रावि, साईवाड, शाहपुरा, जयपुर	04.12.90	27	L-12	L-13	04.12.17	–
12	रामजीलाल, वअ राउमावि, गाडोता, दूदू, जयपुर	19.10.91	27	L-12	L-13	19.10.18	–
13	कृष्णा धाकड़, वअ रामावि, खूसर, सांगानेर, जयपुर	01.12.99	18	L-12	L-13	01.12.17	–
14	दीपक एम. चन्द्रा, व0स0 राउमावि, बिचुन, दूदू, जयपुर	09.10.91	27	L-10	L-11	09.10.18	–
15	लोटन सिंह, व0अ0 राउमावि, बहतूकलां, कठूमर, अलवर	01.07.91	27	L-12	L-13	01.07.18	–

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.17 के पेरा 14 एवं आदेश दिनांक 09.12.17 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें :–

01 पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।

02 सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्व विद्यालय/कार्यालय स्तर पर विभागीय जॉच प्रस्तावित/लम्बित नहीं है एवं पूर्व में कोई दण्ड नहीं दिया गया है।

03 जिन कर्मचारियों ने सेवा के दौरान पदोन्नति का परित्याग किया है ऐसे प्रकरणों में उनके लिए ये स्वीकृति आदेश निरस्त समझे जावें।

उक्त आदेश में जिन पातेय वेतन पर कार्यरत व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक (रामावि0) को 27 वर्षीय ए0सी0पी0 स्वीकृत की गई है। यदि विभाग द्वारा उक्त स्वीकृति की प्रभावी तिथि के बाद डी0पी0सी0 से चयन किया जाता है तो उनके लिए उक्त स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी। तृ0वे0श्रृं0 से व0अ0 पद पर पदोन्नत शिक्षको के प्रकरण में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक– पं.5(23)प्राशि/2009 जयपुर दिनांक 06–10–2010 के अनुसार परीक्षण कर 27 वर्षीय ए0सी0पी0 स्वीकृत की गई है।

(विष्णु दत्त स्वामी)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक–संशिनि/मा/जय/संस्था–5/एफ–एसीपी लेवल/32/2019 दिनांक 09-01-2019

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज0 बीकानेर।

02. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक /प्रारंभिक, मुख्यालय, / ब्लॉक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर/अलवर/दौसा को उक्त कार्मिको/शिक्षको की मूल सेवा पुस्तिका सहित भिजवाते हुए लेख है कि, इन सेवा पुस्तिकाओं को संबंधित के मूल पदस्थापन स्थान पर भिजवाने की व्यवस्था करें

03. संबंधित संस्था प्रधान/ संबंधित कार्मिक/शिक्षक।

04. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय–आदेश

राजस्थान सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक–एफ.15(1) एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक – 30.10.2017 एवं दिनांक – 09.12.2017 के अनुसरण मे शिक्षा अधीनस्थ/मन्त्रालयिक कार्मिकों को निम्नानुसार आश्वासित कैरियर प्रगति स्कीम (एसीपी) वर्तमान पे–मैट्रिक्स लेवल मे स्वीकृत किया जाता है।

क. सं.	नाम कार्मिक एवं पदस्थापन स्थान श्री/श्रीमती/सुश्री..........	नियमित नियुक्ति दिनांक	सेवा अवधि (वर्षो में)	प्राप्त लेवल	स्वीकृत लेवल	प्रभावी तिथि	वि0वि0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रमोद कुमार नागरवाल, वअ राउप्रावि, उदयपुरिया, नानण, दूदू, जयपुर	04.12.90	27	L-12	L-13	04.12.17	–
2	हनुमान प्रसाद जाट, वअ राउप्रावि, महेशवास, हरिनोदा, दूदू, जयपुर	11.07.91	27	L-12	L-13	11.07.18	–
3	रामेश्वर लाल जाट, वअ राउप्रावि, माल की ढाणी, दूदू, जयपुर	04.12.90	27	L-12	L-13	04.12.17	
4	सूरज मल जाट, वअ राउप्रावि, गून्दीदडा, नारायणा, दूदू, जयपुर	12.12.90	27	L-12	L-13	12.12.17	–
5	माधूराम जाट, वअ राउप्रावि, भारतोलाव, नारायणा, दूदू, जयपुर	12.12.90	27	L-12	L-13	12.12.17	–
6	कैलाश चन्द्र शर्मा, वअ राउप्रावि, भावसर, रामसर पालावाला, बस्सी, जयपुर	28.11.90	27	L-12	L-13	28.11.17	–
7	मालीराम बुनकर, वअ राउप्रावि, लेसवा, खेजरोली, गोविन्दगढ, जयपुर	08.01.91	27	L-12	L-13	08.01.18	–
8	बलबीर सिंह महला, वअ राउप्रावि, लाहरवाडा, गोविन्दगढ, जयपुर	20.12.90	27	L-12	L-13	20.12.17	–
9	बन्शीधर रोज, वअ राउप्रावि, वार्ड न0 7, हस्तेडा, गोविन्दगढ, जयपुर	22.12.90	27	L-12	L-13	22.12.17	–
10	रामबाबू शर्मा, वअ राप्रावि, पर्वतपुरी गुणी, जयपुर पूर्व, जयपुर	04.12.90	27	L-12	L-13	04.12.17	–
11	शम्भू दयाल रैगर, वअ राउप्रावि, बागौरी, भौनावास, जयपुर	04.12.90	27	L-12	L-13	04.12.17	–
12	रमेश कुमार धानका, वअ राउप्रावि, चारणवास, करणसर, जयपुर	22.02.90	27	L-12	L-13	22.02.17	–
13	रामबक्स बुनकर, वअ राउप्रावि, गुढामान, सांभरलेक, जयपुर	11.07.91	27	L-12	L-13	11.07.18	–
14	जौहरी लाल बैरवा, वअ राउप्रावि, हरबंसपुरा, फागी, जयपुर	04.12.90	27	L-12	L-13	04.12.17	–

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.17 के पेरा 14 एवं आदेश दिनांक 09.12.17 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें :–

01 पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।

02 सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्व विद्यालय/कार्यालय स्तर पर विभागीय जॉच प्रस्तावित/लम्बित नहीं है एवं पूर्व में कोई दण्ड नहीं दिया गया है।

03 जिन कर्मचारियों ने सेवा के दौरान पदोन्नति का परित्याग किया है ऐसे प्रकरणों में उनके लिए ये स्वीकृति आदेश निरस्त समझे जावें।

उक्त आदेश मे जिन पातेय वेतन पर कार्यरत व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक (रामावि0) को 27 वर्षीय ए0सी0पी0 स्वीकृत की गई है। यदि विभाग द्वारा उक्त स्वीकृति की प्रभावी तिथि के बाद डी0पी0सी0 से चयन किया जाता है तो उनके लिए उक्त स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी। तृ0वे0श्रृं0 से व0अ0 पद पर पदोन्नत शिक्षको के प्रकरण में राज्य सरकार के पत्र कमांक– पं.5(23)प्राशि/2009 जयपुर दिनांक 06–10–2010 के अनुसार परीक्षण कर 27 वर्षीय ए0सी0पी0 स्वीकृत की गई है।

(विष्णु दत्त स्वामी)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक–संशिनि/मा/जय/संस्था–5/एफ–एसीपी लेवल/33 /2019 दिनांक 09-01-2019

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज0 बीकानेर।
02. सबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक /प्रारंभिक, मुख्यालय, / ब्लॉक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर/अलवर/दौसा को उक्त कार्मिको/शिक्षको की मूल सेवा पुस्तिका सहित भिजवाते हुए लेख है कि, इन सेवा पुस्तिकाओं को सबंधित के मूल पदस्थापन स्थान पर भिजवाने की व्यवस्था करें
03. सबधित संस्था प्रधान/ सबंधित कार्मिक/शिक्षक।
04. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय–आदेश

राजस्थान सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक–एफ.15(1) एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक – 30.10.2017 एवं दिनांक – 09.12.2017 के अनुसरण में शिक्षा अधीनस्थ/मन्त्रालयिक कार्मिकों को निम्नानुसार आश्वासित कैरियर प्रगति स्कीम (एसीपी) वर्तमान पे–मैट्रिक्स लेवल में स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक एवं पदस्थापन स्थान श्री/श्रीमती/सुश्री...........	नियमित नियुक्ति दिनांक	सेवा अवधि (वर्षो में)	प्राप्त लेवल	स्वीकृत लेवल	प्रभावी तिथि	वि0वि0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दिलीप कुमार बुनकर, व0स0 सीबीईओ, विराटनगर	07.09.2000	18	L-8	L-9	07.09.18	–
2	प्रमोद कुमार गर्ग, वअ राउमावि, मौखमपुरा, दूदू, जयपुर	11.11.91	27	L-13	L-14	11.11.18	–
3	कविता कुमारी, वअ राउमावि, नंगला बंजीरका, रामगढ, अलवर	10.03.2000	18	L-11	L-12	10.03.18	
4	देशबन्धु शर्मा, स0प्र0अ0 सीबीईओ, राजगढ, अलवर	17.01.90	27	L-10	L-11	17.01.17	–
5	रूपनारायण जाटव, वअ राउप्रावि, नया बेरवास, रामगढ, अलवर	01.07.91	27	L-12	L-13	01.07.18	–
6	अशोक कुमार गोयल, वअ राउप्रावि, पाटन भान, रामगढ, अलवर	21.11.91	27	L-12	L-13	21.11.18	–

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.17 के पेरा 14 एवं आदेश दिनांक 09.12.17 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें :–

01 पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।

02 सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्व विद्यालय/कार्यालय स्तर पर विभागीय जॉच प्रस्तावित/लम्बित नहीं है एवं पूर्व में कोई दण्ड नहीं दिया गया है।

03 जिन कर्मचारियों ने सेवा के दौरान पदोन्नति का परित्याग किया है ऐसे प्रकरणों में उनके लिए ये स्वीकृति आदेश निरस्त समझे जावें।

उक्त आदेश में जिन पातेय वेतन पर कार्यरत व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक (रामावि0) को 27 वर्षीय ए0सी0पी0 स्वीकृत की गई है। यदि विभाग द्वारा उक्त स्वीकृति की प्रभावी तिथि के बाद डी0पी0सी0 से चयन किया जाता है तो उनके लिए उक्त स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी। तृ0वे0श्रृं0 से व0अ0 पद पर पदोन्नत शिक्षको के प्रकरण में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक– पं.5(23)प्राशि/2009 जयपुर दिनांक 06–10–2010 के अनुसार परीक्षण कर 27 वर्षीय ए0सी0पी0 स्वीकृत की गई है।

(विष्णु दत्त स्वामी)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक–संशिनि/मा/जय/संस्था–5/एफ–एसीपी लेवल/ 34 /2019 दिनांक 09-01-2019

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज0 बीकानेर।
02. सबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक /प्रारंभिक, मुख्यालय, / ब्लॉक मुख्य जिला शिक्षा आधिकारी जयपुर/अलवर/दौसा को उक्त कार्मिको/शिक्षको की मूल सेवा पुस्तिका सहित भिजवाते हुए लेख है कि, इन सेवा पुस्तिकाओं को सबंधित के मूल पदस्थापन स्थान पर भिजवाने की व्यवस्था करें
03. सबंधित संस्था प्रधान/ सबंधित कार्मिक/शिक्षक।
04. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय–आदेश

राजस्थान सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक–एफ.15(1) एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक – 30.10.2017 एवं दिनांक – 09.12.2017 के अनुसरण में शिक्षा अधीनस्थ/मंत्रालयिक कार्मिकों को निम्नानुसार आश्वासित कैरियर प्रगति स्कीम (एसीपी) वर्तमान पे-मैट्रिक्स लेवल में स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक एवं पदस्थापन स्थान श्री/श्रीमती/सुश्री______	नियमित नियुक्ति दिनांक	सेवा अवधि (वर्षों में)	प्राप्त लेवल	स्वीकृत लेवल	प्रभावी तिथि	वि0वि0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रीति शर्मा, वअ राबाउमावि, रावलजी का बाग, जयपुर	02.11.99	18	L-11	L-12	02.11.17	–
2	कुसुमलता चौधरी, वअ राबामावि, सिकारपुरा, सांगानेर, जयपुर	22.11.91	27	L-12	L-13	22.11.18	–
3	सन्ध्या खरे, वअ रामावि, सुमेल, बस्सी, जयपुर	16.07.90	27	L-13	L-14	16.07.17	
4	कुन्दन देवी शर्मा, च0श्रे0क0 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर	28.12.91	27	L-3	L-4	28.12.18	–
5	बालस्वरूप शर्मा, वअ राउमावि, [illegible], लक्ष्मणगढ़, अलवर	14.09.2000	18	L-11	L-12	14.09.18	–
6	[illegible] लाल कोली, वअ राउप्रावि, [illegible], बांदीकुई, दौसा	07.12.91	27	L-12	L-13	07.12.18	–
7	देवीसहाय जाट, वअ राउमावि, राजपुरा, शाहपुरा, जयपुर	12.07.91	27	L-12	L-13	12.07.18	

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.17 के पेरा 14 एवं आदेश दिनांक 09.12.17 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें :–

01 पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।

02 सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध विद्यालय/कार्यालय स्तर पर विभागीय जॉच प्रस्तावित/लम्बित नहीं है एवं पूर्व में कोई दण्ड नहीं दिया गया है।

03 जिन कर्मचारियों ने सेवा के दौरान पदोन्नति का परित्याग किया है ऐसे प्रकरणों में उनके लिए ये स्वीकृति आदेश निरस्त समझे जावें।

उक्त आदेश में जिन पात्रेय वेतन पर कार्यरत व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक (रामावि0) को 27 वर्षीय ए0सी0पी0 स्वीकृत की गई है। यदि विभाग द्वारा उक्त स्वीकृति की प्रभावी तिथि के बाद डी0पी0सी0 से चयन किया जाता है तो उनके लिए उक्त स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी। तृ0वे0श्रे0 से व0अ0 पद पर पदोन्नत शिक्षकों के प्रकरण में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक– पं.5(23)प्राशि/2009 जयपुर दिनांक 06–10–2010 के अनुसार परीक्षण कर 27 वर्षीय ए0सी0पी0 स्वीकृत की गई है।

(विष्णु दत्त स्वामी)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक–सशिनि/मा/जय/संस्था–5/एफ–एसीपी लेवल/35/2019 दिनांक 09-01-2019

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज0 बीकानेर।
02. सबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक /प्रारंभिक, मुख्यालय, / ब्लॉक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर/अलवर/दौसा को उक्त कार्मिकों/शिक्षकों की मूल सेवा पुस्तिका सहित भिजवाते हुए लेख है कि, इन सेवा पुस्तिकाओं को सबंधित के मूल पदस्थापन स्थान पर भिजवाने की व्यवस्था करें
03. सबंधित संस्था प्रधान/ सबंधित कार्मिक/शिक्षक।
04. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय आदेश

शिक्षा अधीनस्थ सेवा एवं मंत्रालयिक सेवा के निम्नांकित कर्मचारियों को राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की आज्ञा संख्या पं. 20(1) वित्त ग्रुप-2/दिनांक 25.1.92 एवं संशोधित आदेश दिनांक 22.11.93 एवं 17.2.98 एवं अधिसूचना संख्या पं.11(7) वित्त(नियम)2008/दिनांक 12.9.2008 एवं संशोधित अधिसूचना कमांक पं.11(7)**FD**(नियम) 2008 पार्ट–I दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में नियमित नियुक्ति तिथि से 9/18/27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से चयनित वेतनमान के एवज में वित्तीय उन्नतिकरण आश्वासित कैरियर प्रगति स्कीम (**A.C.P**) स्वीकृत की जाती है। चयनित वेतनमान के एवज में वित्तीय उन्नतिकरण (आश्वासित कैरियर प्रगति स्कीम) (**A.C.P**) की स्वीकृति कॉलम संख्या 8 में अंकित दिनांक से प्रभावी होगी।

इन कर्मचारियों का वेतन निर्धारण (राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतन)नियम 2008 सबंधित कार्यालयध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 12.9.2008 के नियम 19 के अनुसार किया जाकर प्रति इस कार्यालय को भिजवाऐं, वेतन निर्धारण की प्रविष्टि कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जाने के साथ ही वेतन निर्धारण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि कर्मचारी पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है तथा कर्मचारी को विभागीय जॉच/कार्यवाही में दण्डित नहीं किया गया है।

जिन कर्मचारियों ने सेवा के दौरान पदोन्नति का परित्याग किया है ऐसे प्रकरणों में उनके लिए ये स्वीकृति आदेश निरस्त समझे जावें।

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.6.2001 के प्रावधानानुसार ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात संतानोत्पत्ति से दो से अधिक बच्चे हो तो उनके लिए यह स्वीकृति आदेश निरस्त समझते हुए इस कार्यालय को मय सेवा पुस्तिका एवं मूल स्वीकृति के अविलम्ब सूचित करें।

क्रसं	नाम कार्मिक मय पदस्थापन श्री/श्रीमती/सुश्री	नियुक्ति तिथि	पे–बैण्ड	अवधि वर्षों में	पे–ग्रेड		प्रभावी दिनांक
					प्राप्त	स्वीकृत	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	स्व. श्री मुकेश शर्मा, भूपू वअ राउप्रावि, केरली, विराटनगर, जयपुर	05.12.74	9300-34800	27	4200	4800	05.12.06
2	कमलेश कुमार शर्मा, वअ राउमावि, मुरलीपुरा बीड, जयपुर	18.12.98	9300-34800	18	4800	5400	18.12.16
3	रामलाल यादव, सं0नि0 वअ राउप्रावि, रघुनाथपुरा, कोटपूतली, जयपुर	05.07.79	9300-34800	27	4200	4200 मे केवल 3%	01.09.06
4	बिहारी लाल शर्मा, वअ राउमावि, टांकरडा, गोविन्दगढ, जयपुर	01.07.98	9300-34800	18	4800	5400	01.07.16
5	सरोज बैरवा, वअ राउमावि, मौहब्बतपुर, उमरैण, अलवर	07.10.97	9300-34800	18	4800	5400	07.10.15
6	महेश कुमार गेरा, वअ सीबीईओ, रामगढ, अलवर	02.07.90	15600-39100	27	5400	6000	02.07.17
7	नागाराम मीणा, वअ राउप्रावि, पूँछला की ढाणी, गोविन्दगढ, जयपुर	01.09.90	9300-34800	27	4800	5400	01.09.17

जिन कार्मिको को दिनांक 31–12–06 से पूर्व **A.C.P** प्रभावी की गई है उन्हे उक्त स्वीकृति का नगद भुगतान दिनाक – 01 जनवरी–2007 से देय होगा। एवं उक्त आदेश में जिन पातेय वेतन पर कार्यरत व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक, रामावि को 27 वर्षीय ए0सी0पी0 स्वीकृत की गई है यदि विभाग द्वारा उक्त स्वीकृति की प्रभावी तिथि के बाद डी0पी0सी0 से चयन किया जाता है तो उनके लिए उक्त स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।

तृ0वे0श्र0 से व0अ0 पद पर पदोन्नत शिक्षको के प्रकरण में राज्य सरकार के पत्र कमांक– पं.5(23)प्राशि/2009 जयपुर दिनांक 06–10–2010 के अनुसार परीक्षण कर 27 वर्षीय ए0सी0पी0 स्वीकृत की गई है।

(विष्णु दत्त स्वामी)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कमांक– सशिनि/मा/जय/संस्था–5/एफ–501 / 86 /2019 दिनांक 09-01-2019

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

01 सबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को उक्त कार्मिको/शिक्षको की मूल सेवा पुस्तिका सहित भिजवाते हुए लेख है कि, इन सेवा पुस्तिकाओं को सबंधित के मूल पदस्थापन स्थान पर भिजवाने की व्यवस्था करें

02 सबंधित संस्था प्रधान/ सबंधित कार्मिक/शिक्षक।

03 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा जयपुर, सम्भाग जयपुर

कार्यालय आदेश

शिक्षा अधिनस्थ सेवा एवं मंत्रालयिक सेवा के निम्नाकित कर्मचारियों को राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की आज्ञा संख्या प. 20(1)वित्त/ग्रुप–2/92 दिनांक 25.01.92 एवं संशोधित आदेश दिनांक–22.11.93 के अनुसरण मे नियुक्ति तिथि से 9,18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है। कॉलम संख्या – 7 में अंकित तिथि से चयनित वेतनमान एरियर का भुगतान नकद देय होगा।

इन कर्मचारियों का संशोधित वेतन निर्धारण कार्यालयाध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग के आदेश दिनांक–25.01.92 एवं 22.11.93 के अनुसरण में किया जाकर प्रति इस कार्यालय को भिजवाऐं। वेतन निर्धारण की प्रविष्टि कर्मचारी की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें, साथ ही वेतन निर्धारण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि कार्मिक पुनरीक्षित वेतनमान, 1988 में ही वेतन प्राप्त कर रहा है तथा कर्मचारी के विरूद्व वर्तमान में कोई विभागीय जांच/कार्यवाही किसी स्तर पर लंबित/प्रस्तावित नहीं है।

जिन कर्मचारियों ने सेवा के दौरान पदोन्नति का परित्याग किया है तो ऐसे प्रकरणों में उनके लिये यह स्वीकृति आदेश निरस्त समझे जावें। चयनित वेतनमान स्वीकृति के बाद कर्मचारी की सेवापुस्तिका संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करें।

यदि किसी कार्मिक का गत वर्षो की रिक्तियों के विरूद्व चयन होने पर चयनित वेतनमान प्रभावित होता है तो ऐसी स्थिते मे चयनित वेतनमान निरस्त/प्रत्याहरित करते हुए अधिक भुगतान की राशि वसूलनीय होगी।

कसं	नाम कार्मिक मय पदस्थापन	नियुक्ति तिथि	अवधि वर्षो में	वर्तमान वेतनमान	स्वीकृत वेतनमान	प्रभावी दिनाक
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री महेश चन्द्र भारद्वाज वअ वर्तमान प्रधानाचार्य, राउमावि, लगडवास, अलवर	18-08-88	9	5000-8000	5500-9000	18-08-97

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कमांक–संशिनि/मा/जय/संस्था–5/ एफ–501 / 87 /2019 दिनांक 09-01-2019

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01 सबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को उक्त कार्मिक की मूल सेवा पुस्तिका सहित भिजवाते हुए लेख है कि इन सेवा पुस्तिकाओं को सबंधित के मूल पदस्थापन स्थान पर भिजवाने की व्यवस्था करें।

02 सबंधित संस्था प्रधान/ सबंधित कार्मिक/शिक्षक

03 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश कमांकः शिउनि/मा/जय/संस्था–5/एफ–501/78/2017 दिनांकः 02.08.2017 के द्वारा श्री कमल कान्त पारीक, व0अ0 वर्तमान प्रधानाध्यापक, राबामावि, ब्रह्मपुरी छोटा अखाडा, जयपुर को 27 वर्षीय एसीपी दिनांक 02.07.2017 से स्वीकृत की गई थी। कार्मिक की पदोन्नति प्रधानाध्यापक पद पर डीपीसी वर्ष 2017–18 में चयन किये जाने से वरिष्ठ अध्यापक पद पर 27 वर्षीय एसीपी देय नहीं होने के कारण इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त आदेश में उक्त कार्मिक के एसीपी स्वीकृति आदेश निरस्त किये जाते है।

शेष आदेश यथावत रहेंगें।

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर संभाग, जयपुर

कमांकः– शिउनि/मा/जय/संस्था– 5/फा–501/88 /2018 दिनांकः 09-01-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।

2 सम्बन्धित संस्था प्रधान/सम्बन्धित कार्मिक।

3 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर संभाग, जयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः–शिउनि/मा/जय/संस्था–5ब/फा–501/620–629/2012 दिनांकः 19.11.2012 के द्वारा श्री कैलाश चन्द, व0अ0, रा.उ.मा.विद्यालय, विजयपुरा वर्तमान व्याख्याता, राउमावि, मुण्डावरा, थानागाजी, अलवर की 27 वर्षीय एसीपी नियुक्ति तिथि 02.09.85 होने के कारण दिनांक 02.09.2012 से स्वीकृत की गई थी। कर्मचारी की जिला परिषद द्वारा चयन पश्चात नियुक्ति दिनांक 13.10.88 होने के कारण नियुक्ति तिथि 13.10.88 एवं स्वीकृत तिथि 13.10.15 संशोधित कर पढी जावें। शेष आदेश यथावत रहेंगें।

(विष्णु दत्त स्वामी)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांकः– संशिनि/मा/जय/संस्था–5/फा–501/89 /2018 दिनांकः 09-01-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को मय सेवापुस्तिका भेजकर लेख है कि कार्मिक के पदस्थापन स्थान पर भिजवानें की व्यवस्था करें।

2 सम्बन्धित संस्था प्रधान/सम्बन्धित कार्यालय/सम्बन्धित कार्मिक।

3 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर संभाग, जयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय आदेश

शिक्षा अधिनस्थ सेवा एवं मंत्रालयिक सेवा के निम्नांकित कर्मचारियों को राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की आज्ञा संख्या पं. 20(1) वित्त ग्रुप–2/दिनाक 25.1.92 एवं संशोधित आदेश दिनांक 22.11.93 एवं 17.2.98 एवं अधिसूचना संख्या पं.11(7) वित्त(नियम)2008/दिनांक 12.9.2008 एवं संशोधित अधिसूचना कमांक पं.11(7)**FD**(नियम) 2008 पार्ट–I दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में नियमित नियुक्ति तिथि से 9/18/27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से चयनित वेतनमान के एवज में वित्तीय उन्नतिकरण आश्वासित कैरियर प्रगति स्कीम (**A.C.P**) स्वीकृत की जाती है। चयनित वेतनमान के एवज में वित्तीय उन्नतिकरण (आश्वासित कैरियर प्रगति स्कीम) (**A.C.P**) की स्वीकृति कॉलम संख्या 8 में अंकित दिनांक से प्रभावी होगी।

इन कर्मचारियों का वेतन निर्धारण (राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षिति वेतन)नियम 2008 सबंधित कार्यालयध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 12.9.2008 के नियम 19 के अनुसार किया जाकर प्रति इस कार्यालय को भिजवाऐं, वेतन निर्धारण की प्रविष्ठि कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जाने के साथ ही वेतन निर्धारण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि कर्मचारी पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है तथा कर्मचारी को विभागीय जॉच/कार्यवाही में दण्डित नहीं किया गया है।

जिन कर्मचारियों ने सेवा के दौरान पदोन्नति का परित्याग किया है ऐसे प्रकरणों में उनके लिए ये स्वीकृति आदेश निरस्त समझे जावें।

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.6.2001 के प्रावधानानुसार ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात संतानोत्पति से दो से अधिक बच्चे हो तो उनके लिए यह स्वीकृति आदेश निरस्त समझते हुए इस कार्यालय को मय सेवा पुस्तिका एवं मूल स्वीकृति के अविलम्ब सूचित करें।

क्रस	नाम कार्मिक मय पदस्थापन श्री/श्रीमती/सुश्री	नियुक्ति तिथि	पे–बैण्ड	अवधि वर्षो में	पे–ग्रेड		प्रभावी दिनांक
					प्राप्त	स्वीकृत	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुभाष सक्सैना, वअ राउप्रावि, कालवाड खुर्द, आमेर, जयपुर	07.01.89	9300-34800	27	4800	5400	07.01.16
2	हजारी लाल मीणा, वअ राउप्रावि, तेजाजी की ढाणी, मोरीजा, जयपुर	19.07.96	9300-34800	18	4200	4800	19.07.14
3	सुरेन्द्र सिंह कश्यप, सेनि वअ रामावि, दहमीकलां, सांगानेर, जयपुर	01.12.78	9300-34800	27	4200	4800	01.12.06 विकल्प तिथि से
4	चिरंजी लाल सैनी, वअ राबामावि, आंधी, ज0रा0, जयपुर	01.07.99	5200-20200	18	4200	4800	01.07.17
5	रामकिशोर यादव, वशाशि राउमावि, नांगल जैसा बौहरा, झोटवाडा, जयपुर	01.07.98	9300-34800	18	4800	5400	01.07.16
6	दिनेश्वर भट्ट, वअ रामावि, जयसिंहपुरा छोटा, लक्ष्मणगढ, अलवर	23.10.99	9300-34800	18	4200	4800	23.10.17
7	अनिल कुमार सैनी, स0प्र0अ0 राउमावि, खोहरा मलावली,	17.01.90	9300-34800	27	3600	4200	17.01.17
8	महेन्द्र सिंह यादव, व0स0 राउमावि, काकरदोपा, अलवर	23.08.85	9300-34800	27	3600	4200	23.08.13 एक वा0वे0वृ0 से दण्डित

जिन कार्मिको को दिनांक 31–12–06 से पूर्व **A.C.P** प्रभावी की गई है उन्हे उक्त स्वीकृति का नगद भुगतान दिनांक – 01 जनवरी–2007 से देय होगा। एवं उक्त आदेश में जिन पातेय वेतन पर कार्यरत व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक, रामावि को 27 वर्षीय ए0सी0पी0 स्वीकृत की गई है यदि विभाग द्वारा उक्त स्वीकृति की प्रभावी तिथि के बाद डी0पी0सी0 से चयन किया जाता है तो उनके लिए उक्त स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।

तृ0वे0श्रृं0 से व0अ0 पद पर पदोन्नत शिक्षको के प्रकरण में राज्य सरकार के पत्र कमांक– पं.5(23)प्राशि/2009 जयपुर दिनांक 06–10–2010 के अनुसार परीक्षण कर 27 वर्षीय ए0सी0पी0 स्वीकृत की गई है।

(विष्णु दत्त स्वामी)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कमांक–सशिनि/मा/जय/संस्था–5/एफ–501 / 90 /2019 दिनांक 09-01-2019

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01 सबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को उक्त कार्मिको/शिक्षको की मूल सेवा पुस्तिका सहित भिजवाते हुए लेख है कि, इन सेवा पुस्तिकाओं को सबंधित के मूल पदस्थापन स्थान पर भिजवाने की व्यवस्था करें

02 सबंधित संस्था प्रधान/ सबंधित कार्मिक/शिक्षक।

03 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर